अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 388 / 2012

राजीव कुमार सिंह — अपीलार्थी

वनाम

सुभाष यादव — रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.06.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 266 / 2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलाकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में प्रश्नगत भूमि मौजाः कुजौड़ी, थानाः–139, अंचलः आलमनगर, खाता नयाः 796 खेसरा नयाः 1498 रकबा 03.42 एकड़ चौहद्दी उ0: विलास शर्मा वाईपास कच्ची सड़क, द0: शेख गणी वगैरह पु0: उत्तरवादी, वगैरह प0: मृगेन्द्र कुमार सिंह वगैरह विवादित भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि हाल सर्वे में मौजाः कुँजौरी, थाना नं0 139 हाल अंचल वो थाना– आलमनगर (पुराना अंचल वो थाना– किशनगंज) हाल जिला– मधेपुरा (पुराना जिला– सहरसा) के नया खाता –796 नया खेसरा– 1498 रकबा 03 एकड़ 42 उडीसमल का खाता स्वत्व स्वामित्व के आधार पर रामेश्वर सिंह पिता अयोध्या सिंह ग्रामः कुँजौड़ी, थाना नं0 139, थाना वो अंचलः आलमनगर, जिला– मधेपुरा के नाम दर्ज हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि रामेश्वर सिंह के मरने के बाद रामेश्वर सिंह के दो पुत्र फुलेश्वर प्रसाद सिंह मृगेन्द्र सिंह उर्फ सोना सिंह के बीच में मौखिक बँटवारा हुआ जिसमें विवादी भूमि फुलेश्वर प्रसाद सिंह के हिस्सा में पड़ा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि उसी समय में फुलेश्वर प्रसाद सिंह के तीनों लड़के के बीच आपसी मौखिक बँटवारा हुई जिसमें विवादी भूमि अपीलकर्त्ता राजीव

कुमार सिंह पिता फुलेश्वर प्रसाद सिंह के हिस्सा में पड़ा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि बॅटवारा के रोज से अपीलकर्त्ता राजीव कुमार सिंह उक्त विवादी भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से जोत आवाद कर फसल तस्सरूफ कर रहे थे उसके पहले सम्मिलित परिवार के लोग पुस्त पुस्तैन से शॉतिपूर्ण ढंग से दखलकार बने चले आ रहे थे।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करतें हैं कि वर्श 2011 ई0 में अपीलकर्त्ता राजीव कुमार सिंह उक्त विवादी भूमि को जोत आबाद कर मकई फसल बोने के लिए तैयार किये हुए थे एकाएक बिना किसी जानकारी का अपीलकर्त्ता राजीव कुमार सिंह के गेरवाने में उत्तरवादी ने कुछ असमाजिक तत्वों के साथ आकर विवादी भूमि को जोतकर पुनः चौकी देकर मकई का फसल बो दिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलकर्त्ता भूमि को छोड़ने का आग्रह किया परन्तु विपक्षी सुभाष यादव 50000.00 रू0 की मांग करते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करतें हैं कि विपक्षी दावा करते है कि केदार प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय राम नारायण सिंह से खाता संख्या –796 नया खेसरा संख्या –1498 नया रकबा 03 एकड़ 42 डी0 में से 01 एकड़ 74 डीसमल भूमि पट्टा पर लिया हूँ और जोत आवाद कर फसल बोया हूँ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करतें हैं कि रामजानकी लक्ष्मण ठाकुरवाड़ी तथा निजी ट्रस्ट का चर्चा उत्तरवादी करते है, उससे विवादी भूमि को कोई हक वो सरोकार नहीं है। ठाकुरवाड़ी को मात्र 01 एकड़ 88 डी0 भूमि है जिसका हाल सर्वे खतियान भी ठाकुरवाड़ी के नाम से इन्द्राज है जो मौजा– कुँजौड़ी थाना नं0 139, अंचल– आलमनगर नया खाता –797 नया खेसरा –152 रकबा 27 डी0 नया खेसरा –157 रकबा 61 डी0, नया खेसरा –174 रकबा 40 डी0, नया खेसरा –182 रकबा 10 डी0, नया खेसरा –185 रकबा 18 डी0, नया खेसरा 1093 रकबा 08 डी0, नया खेसरा –1262 रकबा 20 डी0, नया खेसरा 1414 रकबा 04 डी0, कुल रकबा 01 एकड़ 88 डी0 खाताधारी का नाम श्री रामजानकी जी महाराज सेवायत रामेश्वर सिंह पिता अयोध्या सिंह जो कि अपीलकर्त्ता के सगे दादाजी हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करतें हैं कि उपरोक्त विवादी भूमि से केदार प्रसाद सिंह एवं श्री राम जानकी जी महाराज से कोई हक वो सरोकार नही है एवं केदार प्रसाद सिंह को कोई भी पट्टा या किसी भी प्रकार की कार्रवाई उक्त विवादी भूमि पर नहीं है। केदार प्रसाद सिंह एवं उत्तरवादी अपराधिक छबि के व्यक्ति हैं तथा मेली सरोकारी बतलाते हैं।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में वादग्रस्त भूमि से संबंधित नया खाताः 796 नया खेसरा : 1498 रकबाः 03 एकड़ 42 डीसमल खतियान का वाजाप्ता नकल ,राजस्व रसीद की प्रति, श्री राम जानकी जी महाराज सवैत रामेश्वर सिंह पिता अयोध्या सिंह नया खाताः 797 खतियान का वजाप्ता नकल एवं उत्तरवादी पर अपराधिक मुकदमा लंबित आलमनगर थाना कांड संख्या 34/1998 जी0 आर0 नं0 417/1998 राज्य बनाम लखन यादव वगैरह का वजाप्ता नकल की प्रति दाखिल किए हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि मोजा– कुजौड़ी, अंचल – आलमनगर, जिला– मधेपुरा के खाता संख्या 796, खेसरा संख्या 1498 रकबा 3 एकड़ 42 डी0 भूमि के लिए दाखिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि उक्त भूमि उनकी मरौसी खतियानी है एवं खाता रामेश्वर सिंह के नाम से दर्ज है एवं आपसी बॅटवारा से हिस्सा में मिला

है एवं यह कहा गया है कि जमाबंदी दादा रामेश्वर सिंह के नाम से चल रही है एवं यह भी कहा है कि दिनांक 23.10.11 को जबरन जोत कर उक्त भूमि में मकई का फसल लगा दिया है एवं रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है लेकिन अपीलार्थी के द्वारा रंगदारी के लिए कोई वाद थाना में अथवा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा या अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज के समक्ष दाखिल नहीं किया है वो रंगदारी का मामला बिहार भूमि विवाद सुधार अधिनियम के तहत नहीं आता है जिससे अपीलार्थी का दावा पोषणीय नहीं है बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रत्यर्थी उक्त वाद में हाजिर होकर अपना उत्तर पत्र दिया वो अपने उत्तर पत्र में उल्लेखित किया कि 3 एकड़ 42 डी0 भूमि में से मात्र 1 एकड़ 74 डी0 जमीन प्रत्यर्थी के द्वारा लीज पर भू– स्वामी केदार सिंह पिता– रामनारायण सिंह से ली गयी है जो उक्त भूमि पर दखल– कब्जा केदार प्रसाद सिंह का बराबर है था वो केदार प्रसाद सिंह की उक्त भूमि उनके निजी राम जानकी– लक्ष्मण ठाकुरबाड़ी की चली आ रही है जो उनका निजी ट्स्ट है वो उक्त भूमि की मालिक बजरंग सिंह एवं मनु सिंह पेसरान महाराज सिंह वो मोहित सिंह, पिता: धनुषधारी सिंह के द्वारा ली थी। ठाकुर राम जानकी लक्ष्मण वो उत्सर्ग कर अर्पण कर दिये वो उक्त ठाकुरबाड़ी के सेवायत बजरंग सिंह, पे0: महाराज सिंह हुए वो जिनके लिए एक दस्तावेज अर्पणनाम तारीख 01.05.34 तामिल कर रजिस्ट्री एकरार कर दिये वो उक्त अर्पणनामा से यह भी स्पष्ट हागा कि जिस कदर विवादी खेसरा का दावा किया गया अरसा दराज कवल साथ अन्य भूमि के कर दिये वो उक्त ठाकुरवाड़ी सेवायत बजरंग सिंह के बाद उनके वारिसान होते आये।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि चन्द व्यक्ति के द्वारा विवादग्रस्त भूमि वो अन्य भूमि के लिए विवाद उत्पन्न किया गया जिसमें दफा 144 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही प्रारंभ हुई, जिसका मोकदमा संख्या 328/1977 था, जिसमें द्वितीय पक्ष जगदीश सिंह एवं अन्य थे जो 145 द0 प्र0 सं0 में तबदिल हो गयी जिसका टी0 आर0 नं0 296/78 कायम हुआ, जिसमें फैसला दिनांक 19.06.78 ई0 को हुआ, जिसमे उक्त भूमि वो अन्य भूमि पर हकियत वो दखल ठाकुरवाड़ी का कायम रहा। वाद में बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्याय परिषद के द्वारा झंझट किया गया कि उक्त ट्स्ट पब्लिक ट्स्ट है, जिसके लिए केदार प्रसाद सिंह के पिता अयोध्या सिंह जो बाबू बजरंग प्रसाद सिंह के मरने के बाद सेवायत हुए वो वै बहैसियत सेवायत के अधिकार वाद संख्या 42/88 न्यायालय अवर न्यायाधीश, मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया, जिसमे फैसला रेस्पोण्डेन्ट के लीजकर्त्ता के पक्ष में हुआ तथा उसकी डिक्री भी बनी वो इस तरह केदार प्रसाद सिंह बहैसियत सेवायत उक्त भूमि पर हकदार वो दखलकार थे वो अपीलार्थीगण के सरीकदारान 144 एवं 145 द0 प्र0 सं0 में लड़े, लेकिन उनका कोई दावा कायम नहीं रहा बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं अपीलार्थी का कहना है कि हाल सर्वे खतियान उनके नाम से ठाकुरबाड़ी की सम्पति का बन गया है, जिससे उन्होंने अपना दावा लाया है, लेकिन खतियान से स्वामित्व का फैसला नहीं हो सकता है, वो प्रावधानों के अनुकूल यह कहा गया है कि " खतियान इज नोट कनक्लूसीव प्रूफ ऑफ दी टाईटिल" तथा अपीलार्थी के द्वारा यह भी नहीं कहा गया है कि यह नया खेसरा किस पुराना खेसरा से बना है वो उक्त पुराना खेसरा उन्हें कैसे हासिल है। यह कि प्रत्यर्थी द्वारा सपष्ट उल्लेखित है कि उक्त भूमि 05.01.1934 को अर्पण ठाकुर जी को पूर्व वो उसके बाद उक्त भूमि पर 144 एवं 145 द0 प्र0 सं0 चला, जिसमें प्रत्यर्थी की जीत हुई वो उनका दखल– कब्जा पाया गया जौ फैसला 1978 में हुआ है वैसी हालत में खतियान का इन्द्रराज

हक दखल के लिए अपूर्ण हो जाता है तथा स्वत्व वाद में फिर निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में आया है तथा प्रत्यर्थी ठाकुरवाड़ी की जमीन एक एकड़ चौहतर डीसमल लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अपीलार्थी का दावा असुरक्षितयुक्त है वो उनके दावे का फैसला एक जटिल मामला स्वत्व का बनता है। आगे यह भी कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज का आदेश जायज वो दुरूस्त है।

रेस्पोण्डेन्ट अपने दावे के समर्थन में अर्पणनामा (रजि.) की छाया प्रति, डीकी दिनांक 20.01.07 टी0एस0 नं0 42/88 एवं पूराना एवं नया खेसरा का इनफारमेशन स्लीप की छाया प्रति प्रति दाखिल किए हैं।

उभय पक्षों को विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल रूप से राम जानकी लक्ष्मण ठाकुरबाडी की है एवं इस भूमि को किसी प्रकार का हस्तानान्तरण का अधिकार अपीलार्थी राजीव कुमार सिंह या इनके पूर्वज और न ही सुभाष यादव को है । सेवायत की हैसियत से उक्त भूमि के रख रखाव की जबाबदेही अपीलार्थी मात्र को है । अतः उभय पक्षों के स्वत्व अधिकार को खारिज करते हुए यह भूमि राम जानकी लक्ष्मण ठाकुरबाड़ी में निहित है एवं इसकी सम्पति के रख रखाव के अतिरिक्त किसी प्रकार के दावे प्रतिदावे को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है । इसके साथ अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा